



राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक: एफ 1008 (91)/एनएचएम/स्वास्थ्य बीमा योजना/2015-16/ 31 दिनांक : 5/11/18

परिपत्र

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वितीय फेज (वर्ष 2017-19) के लिए जारी आरएफपी में किये गये संशोधन के अनुसार निम्न दो पैकेजेज में निम्नानुसार शर्तें लगाई गई हैं :-

S.No.	Package Name	Package Code	Package Amount
1.	Total Hip Replacement (Uncemented, U/L)	29030014	50,000.00
2.	Total Hip Replacement (Cemented, U/L)	29030016	72,000.00

उपरोक्त दोनों पैकेजेज को केवल दुर्घटना के कारण आवश्यकता होने पर अथवा तत्काल चोट लगने पर (Hip replacement will be done in case of accident/recent injury only) ही लिया जा सकता है। पूर्व में लगी हुई चोट/बीमारियों में इस पैकेज को नहीं लिया जा सकेगा। समस्त अस्पताल इस पैकेजेज को लेने से पूर्व उपरोक्त शर्तें पूर्ण होने की सुनिश्चितता कर लें।

(जीवन जैम)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी

क्रमांक: एफ 1008 (91)/एनएचएम/स्वास्थ्य बीमा योजना/2015-16/ 31 दिनांक : 5/11/18
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, जयपुर।
4. शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया इस पैकेज के समक्ष उपरोक्त टिप्पणी अंकित कराने तथा पैकेज का चयन करते समय इस प्रकार की चेतावनी भी अस्पताल को Pop-up Window में प्रदर्शित कराने की व्यवस्था करने का श्रम करें।
5. न्यू इंडिया एश्योरेन्स कम्पनी को प्रेषित कर लेख है कि अभी तक किये गये उपरोक्त दोनों पैकेज के अन्तर्गत अस्पतालों द्वारा प्रेषित किये गये क्लेमस को निरस्त नहीं किया जावे।
6. समस्त जिला कलक्टर।
7. संभाग सयुक्त निदेशक, (समस्त संभाग)।
8. प्राचार्य मेडिकल कॉलेज, समस्त।
9. अधीक्षक मेडिकल कॉलेज से संबंधित समस्त अस्पताल।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (समस्त)
11. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, समस्त जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, सैटेलाईट अस्पताल।
12. समस्त अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला नोडल अधिकारी (प.क)
13. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन एच एम/एन आर एच एम समस्त जिले।
14. योजना से सम्बद्ध समस्त निजी एवं राजकीय अस्पताल।
15. प्रभारी, सर्वर रूम को संबंधित को ई-मेल कराने हेतु एवं वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
16. रक्षित पत्रावली।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी